न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस **संख्या 2022/211**

1. छीतर पुत्र केसरा
2. शीशराम पुत्र छाजुराम समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम मलपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान ।

—अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती गिन्दोडी उर्फ गिन्दो पुत्री स्व. श्री चन्दाराम पत्नि बाबुलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मलपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान हाल आबाद ग्राम खटोटी तहसील बानसुर जिला अलवर राजस्थान ।
2. तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान ।

—रेस्पोडेन्ट्स

3. हेमराज पुत्र केसरा
4. बनारसी पत्नि स्व. तोताराम
5. बलबीर पुत्र स्व. तोताराम
6. हीरालाल पुत्र स्व. तोताराम
7. रामसिंह पुत्र स्व. तोताराम
8. हरदान पुत्र स्व. तोताराम
9. मेवा पुत्री स्व. तोताराम
10. सांवल पुत्र गोविन्दा
11. भगवती पत्नि स्व. छाजूराम
12. रोहिताश पुत्र स्व. छाजूराम
13. विमला पत्नि स्व. छाजूराम
14. कोयली पुत्री स्व. छाजूराम समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम मलपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान।

—तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

द्वितिय अपील अंतर्गत धारा 76 एल. आर. एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय कोटपूतली निर्णय दिनांक 31.03.2022 बउनवानी श्रीमती गिन्दोडी उर्फ गिन्दो बनाम तहसीलदार कोटपूतली अपील संख्या 27/2018 बाबत नामान्तकरण संख्या 553 निर्णय दिनांक 18.10.2010 ग्राम मलपुरा तहसील कोटपूतली एवं निर्णय नामातंकरण संख्या 553 दिनांक 18. 10.2010 तस्दीक द्वारा तहसीलदार महोदय कोटपूतली।

उपस्थित—

1. श्री दीनदयाल पारीकवकील अपीलान्ट
2. श्री पंडित रामबाबू पारीक वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक–12.06.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 31.03.2022 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर के समक्ष तहसीलदार कोटपूतली के नामान्तरकरण संख्या 553 आदेश दिनांक 18.10.2010 को गलत बताते हुये अपील प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर नामा. सं. 553 वाके ग्राम मलपुरा तहसील कोटपूतली दिनांक 18.10.2010 अपास्त कर तहसीलदार कोटपूतली को ख.नं. 245/0.48, 246/0.46 में अपीलान्ट का नाम रिकॉर्ड में मुताबिक हिस्सा दर्ज करने के आदेश दिनांक 31.03.2022 को दिये गये।

3. अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुरके उक्त निर्णय दिनांक 31.03. 2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट छीतर पुत्र केसरा वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली के निर्णय दिनांक 31.03.2022निरस्त कर इन्तकाल संख्या 553 दिनांक 18.10.2010 को बहालकिये जाने की प्रार्थना की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 14 की ओर से बाद तामिल कोई उपस्थित नहीं।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडैन्ट संख्या 01 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर के समक्ष नामातंकरण 553 निर्णय दिनांक 18.10.2010 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की थी । उपरोक्त नामातंकरण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वारा परित निर्णय व डिकी दिनांक 06.10.2010 मुकदमा नम्बर 62/2005 बउनवानी प्रभाती बनाम जयमल वगैरा की अनुपालना में दर्ज किया गया है। एवं जब तक उपरोक्त निर्णय व डिकी को स्वयं सहायक कलेक्टर कोटपूतली अथवा अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अथवा राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निरस्त नही किया जाता है तब तक उक्त नामतांकरण कानूनन निरस्त किया जाना संभव नहीं हैं एवं न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटपूतली द्वारा पारित निर्णय व डिकी आज दिन तक यथावत है । परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के उपरोक्त मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत जाकर उपरोक्त नामा0 खारिज करने की भारी भूल की है। रेस्पोडैन्ट संख्या 01 यदि न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटपूतली द्वारा परित निर्णय व डिकी से स्वयं को व्यथित पाते हे तो उन्हें धारा 96 सी पी सी के तहत उक्त निर्णय व डिकी के विरूद्ध नियमित अपील राजस्व अपील प्राधिकारी में प्रस्तुत करनी चाहिए थी । बिना न्यायालय सहायक कलेक्टर के निर्णय व डिकी को निरस्त कराये उक्त नामातंकरण के विरूद्ध अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त नामतांकरण संख्या 553 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को यह जाहिर करते हुए स्वीकार किया कि न्यायालय सहायक

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कलेक्टर के विचाराधनी वाद 62/2005 में रेस्पोडैनट संख्या 01 को पक्षकार नहीं बनाया जबकि उसे अपने पिता की संपति में हक हासिल है । परन्तु प्रथम अपील न्यायालय ने इस तथ्य को गौर नही किया कि अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के हक में न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटपूतली के समक्ष वाद प्रस्तुत किये जाते समय रिकार्ड में दर्ज समस्त व्यक्तियों को बाद में पक्षकार बनाया गया एवं न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटपूतली ने उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत उक्त निर्णय व डिकी पारित की एवं उक्त निर्णय व डिकी की अनुपालना में ही उक्त नामतांकरण दर्ज किया गया है परन्तु प्रथम अपील न्यायालय ने कानून की उपरोक्त मूलभूत सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए विधि विरूद्ध निर्णय पारित करने की भारी भूल की है। ऐस में अपीलाधीन आदेश जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर दिनांक 31.03.2022निरस्त किया जावे।

5. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि हाल आराजी ख.नं. 245/0.48, 246/0.46 वाके ग्राम मलपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजी के हिस्सा 1/4 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार प्रार्थीया रेस्पो0 संख्या 1 का दादा श्योकरण पुत्र सोहन था उसकी मृत्यु पश्चात् प्रार्थीया का पिता चन्दाराम उक्त आराजी के हिस्सा 1/4 पर काबिज काश्त हुआ तथा चन्दाराम की मृत्यु के बाद उसकी एक मात्र वारिस प्रार्थीया उक्त आराजी के हिस्सा 1/4 पर अपने पिता के फुट स्टेप पर काबिज काश्त हुयी ओ. 1/4 पर मौके पर काबिज काश्त है। मातादीन पुत्र नानूराम गुर्जर निवासी मलपुरा तहसील कोटपूतली जयपुर ने प्रार्थीया के पिता चन्दाराम की सम्पत्ति की फर्जी व कूटरचित वसीयत दिनांक 21/4/1994 को तैयार करवा ली तथा उक्त कूटरचित एवं फर्जी वसीयत में आधार पर प्रार्थीया के दादा श्योकरण पुत्र सोहन का हिस्सा 1/4 की आराजी का नामा. सं. 434 दिनांक 05/7/2006 को अपने नाम खुलवा लिया।अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स व उसकी माता प्रभाती पत्नी के द्वारा ने तकास्मा का दावा न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली के यहां पेश कर बिनाप्रार्थीया को पक्षकार बनाये अपने हक में दिनांक 06/10/2010 को डिक्री करवा लिया ओर डिकी के आधार पर सम्पूर्ण आराजी का नामा. सं 553 दिनांक 18/10/2010 को अपने नाम खुलवा लिया जबकि उक्त आराजी में प्रार्थीया का भी 1/4 हिस्सा है।

मातादीन पुत्र नानूराम द्वारा प्रार्थीया के पिता चन्दाराम पुत्र श्योकरण से फर्जी व कूटरचित करायी गयी वसीयत को निरस्त करवाने बाबत प्रार्थीया ने एक दावा व उनवानी श्रीमती गिन्दोडी देवी बनाम मातादीन वगैरह दावा संख्या 78/2006 न्यायालय सिविल न्यायाधीश क.ख. कोटपूतली के यहां पेश किया जिसमें दिनांक 10/01/2017 को न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुये तथाकथित फर्जी वसीयत दिनांक 21/4/1994 को निरस्त फरमा दिया है तथा प्रार्थीया को चन्दाराम पुत्र श्योकरण की सम्पत्ति का मालिक माना है । ऐसी स्थिती में तथाकथित वसीयत दिनांक 21/4/1994 अपीलान्टस् के अधिकारों पर शुरू से ही नल एण्ड वाईड है शून्य एवं बेअसर है तथा नामा.सं. 553 दिनांक 18/10/2010 के बाबत जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की।उक्त आराजी पर एकमात्र प्रार्थीया का ही हक अधिकार बनता है । न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली के यहां मु.नं. 62/2005 में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया है जिससे प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार प्रभावित हुये है एवं

प्रार्थीया खातेदारी अधिकारों से वंचित रही है जबकि पिता की सम्पत्ति पर पुत्री को समान अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट अपने पिता की एक मात्र वारिस है जिन्होंने सिविल न्यायालय में दावा पेश कर फर्जी तरिके से करायी गयी वसियत को दिनांक 10/01/2017 को खारिज करायी गयी। इसलिए पिता के हिस्से की भूमि पर अपीलान्ट का हक और अधिकार है। इसलिए उक्त नामा 553 तहसीलदार कोटपूतली द्वारा 18/10/2010 को स्वीकार किया है वह विधि अनुरूप नहीं है। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा सभी तथ्यों की जॉच पश्चात् ही विधिवत अपील स्वीकार कर नामा0 संख्या 553 को निरस्त करने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद ग्राम मलपुरा तहसील कोटपूतली के ख.नं. 245/0.48, 246/0.46 के सहायक कलक्टर कोटपूतली के डिक्री आदेश दिनांक 06.10.2010 की पालना में तहसीलदार कोटपूतली द्वारा खोले गये नामा0 सख्या 553 दिनांक 18.10.2010 को लेकर है।सहायक कलक्टर कोटपूतली द्वारा 06/10/2010 को डिकी पारित की गई जिसमें ना तो अपीलान्ट को पक्षकार बनाया और ना ही वसीयत ग्रहिता मातादीन को पक्षकार बनाया है जबकि अपीलान्ट अपने पिता की एक मात्र वारिस है जिसका हिस्सा 1/4 उक्त भूमि में है। जिससे अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार प्रभावित हुये है जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पिता की सम्पत्ति पर पुत्री को समान अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के पिता चन्दाराम की सम्पत्ति की मातादीन द्वारा कराई गई वसीयत को सिविल कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गयी इससे स्पष्ट होता है कि मातादीन पुत्र नानूराम का उक्त आराजी में कोई अधिकार नहीं बनता है। केवल मात्र अपीलान्ट का ही उक्त आराजी में 1/4 हक अधिकार बनता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों पर गौर करके ही तहसीलदार कोटपूतली द्वारा तस्दीक सख्या 553 दिनांक 18.10.2010 को निरस्त करने के आदेश दिये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्मत् हैं। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। इसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समक्षते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 31.03.2022 यथावत रखा जाता है।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर